न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 365/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सतीश राजपुरोहित पुत्र स्व0 मोहनलाल उर्फ मोहनसिंह राजपुरोहित 2. गोविन्द राजपुरोहित पुत्र स्व0 मोहनलाल उर्फ मोहनसिंह राजपुरोहित (निवासी–ग्राम थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर हाल निवासी–मकान नं0 18, द्वितीय बी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर)		1. जिला कलेक्टर जोधपुर 2. सरपंच ग्राम पंचायत थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 3. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर 4. उपखण्ड अधिकारी ओसियां(जोधपुर) 5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) जोधपुर 6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर क्रमांकः प.12 (3–)राज./आवंटन/2017/4154 दिनांक 17.07.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांकः समसंख्यक/4626 दिनांक 23.07.2019

उपस्थित–
1. श्री गोविन्द राजपुरोहित, वकील अपीलाण्ट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक. 01.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट्स ने जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा ग्राम थोब के खसरा नम्बर 1468 रकबा 20.02 बीघा किस्म गै.मु.गोचर में से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब के विद्यालय भवन एवं खेल मैदान निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जो न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर से दिनांक 29.8.23 को स्थानांतरित होकर प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत थोब, पं0स0 ओसियां द्वारा ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 रकबा 20.02 बीघा किस्म

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गै0मु0 गोचर में से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब. के भवन एवं खेल मैदान निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने एवं गोचर की क्षतिपूर्ति ग्राम थोब के खसरा नं0 1689 किस्म गै0मु0 भाकर में से 10 बीघा भूमि गोचर घोषित किए जाने के निवेदन पर, उक्तानुसार भूमि आवंटन बाबत उपखण्ड अधिकारी ओसियां एवं तहसीलदार ओसियां द्वारा अभिशंषा की गई। उक्त भूमि आवंटन करने एवं गोचर की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत थोब ने प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक 24.04.2016 सर्वसहमति से पारित होने से जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना कमांकः प.6(25)राज–6/2015/12 जयपुर दिनांक 01.05.2017 के द्वारा कि ''राजस्थान भू–राजस्व नियम 1956 (राजस्थान अधिनियम सं0 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड 1 द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियॉ (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र का आवंटन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2018 तक किया जा सकेगा एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत भी इस प्रकार के प्रकरणों में जिला कलेक्टर को 4 हैक्टयर की सीमा तक भूमि आवंटन के अधिकार प्रदत्त है।'' के तहत ग्राम थोब के खसरा नम्बर 1468 रकबा 20.02 बीघा किस्म गै.मु.गोचर में से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब के विद्यालय भवन एवं खेल मैदान निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को आवंटन किया गया। प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित किस्म की होने से ग्राम थोब के खसरा नं0 1689 रकबा 438.19 किस्म गै0मु0भाकर में से 10 बीघा भूमि गोचर घोषित की गई। जिसमें संशोधित आदेश कमांक 4626 दिनांक 23.7.19 के द्वारा आवंटित भूमि खसरा नं0 1468 के पूर्वी दिशा में तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार आवंटित स्थल में आंशिक संशोधन किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलाण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1468 हमारे पिता स्व0 मोहनसिंह पि0 शिवनाथ सिंह कौम पुरोहित की खुदकाश्त की खातेदारी/जागीर कृषि भूमि है। जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 में किया हुआ है। खतौनी बन्दोबस्त में इन्द्राज पर्चा लगान के आधार पर किया गया है। पर्चा लगान में ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 की कृषि भूमि खुदकाश्त तथा किस्म बारानी स्वयम् दर्ज है, परंतु सेटलमेन्ट कर्मचारियों व राजस्व अधिकारियों ने अपनी अधिकारिता सीमा से बाहर जाकर इसे गैर मुमकिन गोचर दर्ज कर दिया गया, जिसके लिए सक्षम न्यायालय का आदेश आज दिनांक तक जारी नही हुआ है। जागीर रिज्यूम होने के बाद स्व0 मोहनसिंह कौम पुरोहित का नाम उल्लेखित खसरान की खतौनी बन्दोबस्त में खुदकाश्त दर्ज हुआ था तथा ऐसे खुदकाश्त जागीरदार को राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 एवं जमींदारी एवं बिस्वेदारी अधिनियम 1959 की धारा 29 के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये है। कालांतर में ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 की कृषि भूमि ग्राम पंचायत थोब के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन बाबत कोई इन्द्राज जमाबन्दी में नही किया गया है। इस खसरे की कृषि भूमि की किस्म को खुदकाश्त बारानी स्वयं से गै0मु0गोचर में परिवर्तित करने बाबत भी कोई आदेश किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी नही है।

ग्राम पंचायत थोब के खसरा नं0 1468 पर प्रार्थी के पिता मोहनसिंह का कब्जाकाश्त राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक से चला आ रहा है तथा मोहनसिंह की मृत्यु दिनांक 3.11.16 को हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को पूर्व में राजस्व रेकर्ड में हुए गलत इन्द्राज का ज्ञान नही था तथा इसके ग्राम पंचायत के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खाते में दर्ज होने की जानकारी पूर्व में नही थी, इसकी जानकारी उन्हें उक्त कृषि भूमि में से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब को आवंटित किए जाने से हुई।

राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत कलेक्टर /जागीर कमिश्नर धारा 16 के तहत खुदकाश्त कृषि भूमि का आवंटन करता है तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 22 के तहत जागीर पुनर्ग्रहण होने के बाद राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 23 के तहत जागीरदार की निजी सम्पत्ति कलेक्टर/जागीर कमिश्नर के द्वारा घोषित की जाती है। अपीलार्थीगण के पिता मोहनसिंह के द्वारा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 14 के तहत खुदकाश्त कृषि भूमि के लिए कलेक्टर जोधपुर के यहां आवेदन किया गया था। जिसमें कलेक्टर (जागीर) जोधपुर के द्वारा आज्ञा पत्र कमांक 3372 दिनांक 25.01.1965 जारी किया गया। जिसमें जागीरदार मोहनसिंह की खुदकाश्त खसरों बाबत आदेश जारी किया गया है तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 33 के तहत मुआवजा निर्धारित कर एक आदेश कलेक्टर (जागीर) जोधपुर के द्वारा दिनांक 25.01.1965 को जारी किया गया। जिसकी अपीलार्थीगण के पिता को प्रेषित प्रति की फोटो प्रति तथा उसकी नोटेरोइज सत्य प्रतिलिपी की फोटो प्रति संलग्न अपील है। इसी प्रकार अन्य जागीरदार पृथ्वीसिंह के द्वारा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 14 के तहत खुदकाश्त कृषि भूमि के लिए कलेक्टर जोधपुर के यहां आवेदन किया गया था। जिसमें कलेक्टर (जागीर) जोधपुर के द्वारा आज्ञा पत्र दिनांक 25.01.1965 जारी किया गया। जिसमें जागीरदार पृथ्वीसिंह की खुदकाश्त खसरों बाबत आदेश/आज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 33 के तहत मुआवजा निर्धारित कर एक आदेश कलेक्टर (जागीर) जोधपुर के द्वारा दिनांक 25.01.1965 को जारी किया गया है। जो वादग्रस्त ग्राम थोब तहसील ओसियां के खसरा नं0 1468 की कृषि भूमि को जागीर भूमि होने की ताईद करता है। हमारे पिता मोहनसिंह को उक्त खसरान की भूमि का ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि/अवाप्ति राशि प्रदत्त नही की गई है और ना ही उनके द्वारा उक्त कृषि भूमि समर्पित की गई है और न ही इस खसरे की कृषि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि पर स्व0 मोहनसिंह को प्राप्त खातेदारी अधिकारों का अवसान राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 12 के तहत हुआ है। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर की मांग एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां की अनुशंषा पर श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा रा0उ0मा0वि0 थोब के स्कूल भवन एवं खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि विधि अनुकूल नही है, क्योंकि आवंटित भूमि पर ग्रा0पं0 थोब का कोई अधिकार या स्वत्व नही है।

ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 के पूर्वी दिशा के पिछे की ओर हमारे पिता स्व0 मोहनसिंह एवं स्व0 पृथ्वीसिंह की खसरा नं0 1467 की शामलाती कृषि भूमि करीब 30 बीघा स्थित है। दिनांक 2.12.21 को अपीलार्थीगण खसरा नं0 1468 एवं 1467 का भू–उपयोग परिवर्तन एवं इनके विकास हेतु ऋण प्राप्त करने के आशय से ग्राम थोब गये व इनसे संबंधित राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया, तो उसे प्रथम बार पता चला कि खसरा नं0 1468 का राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत थोब के नाम इन्द्राज हो रखा है तथा इसमें से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब को आवंटित कर दी गई है। फिर अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के स्वामित्व की कृषि भूमि व जागीर भूमि बाबत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तथा कलेक्टर (जागीर) जोधपुर द्वारा उसके पिता को जारी आदेश दिनांक 25.01.1965 की सत्यापित प्रतिलिलि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसकी सत्यापित प्रति उसे प्रदत्त नही की गई। जिस कारण उक्त अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। इसके साथ अपीलार्थी–गोविन्द राजपुरोहित माह अप्रेल 2022 में अस्वस्थ रहा, इन कारणों से प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब की माफी हेतु अपील के संलग्न आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थीण द्वारा राजस्व रेकर्ड से ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 का इन्द्राज ग्राम पंचायत थोब के नाम से निरस्त कराने हेतु राजस्व वाद/खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा बाबत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश कमांक 4154 दिनांक 17.7.17 एवं अन्य संशोधित आदेश कमांक 4626 दिनांक 23.7.19 को खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांटस द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.4.23 को लिखित बहस व उसके संलग्न लिखित बहस में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 व 4 की ओर से उपंस्थित राजकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर, उसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 मिसल बंदोबस्त 2011–30 वक्त सेटलमेंट के समय से किस्म गै0मु0गोचर दर्ज थी, जो जमाबंदी चौसाला 2025–28 में गा0पं0 के खाते में दर्ज है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन, झूठी व सारहीन होने से खारीज फरमाने तथा श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा ग्रामहित/राज्यहित में विद्यालय व खेल का मैदान हेतु आवंटित भूमि संबंधी अपीलाधीन आदेश विधि सम्मतः होने होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 मिसल बंदोबस्त संवत् 2011–30 वक्त सेटलमेंट के समय से किस्म गै0मु0गोचर दर्ज थी, जो अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सवंत् 2070–73 में गा0पं0 के खाते में दर्ज है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि ग्राम थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1468 हमारे पिता स्व0 मोहनसिंह पि0 शिवनाथ सिंह कौम पुरोहित की खुदकाश्त की खातेदारी/जागीर कृषि भूमि है। जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 में किया हुआ है। दिनांक 2.12.21 को अपीलार्थीगण खसरा नं0 1468 एवं 1467 का भू–उपयोग परिवर्तन एवं इनके विकास हेतु ऋण प्राप्त करने के आशय से ग्राम थोब गये व इनसे संबंधित राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया, तो उसे प्रथम बार पता चला कि खसरा नं0 1468 का राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत थोब के नाम इन्द्राज हो रखा है तथा इसमें से 10 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 थोब को आवंटित कर दी गई है। अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड से ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 का इन्द्राज ग्राम पंचायत थोब के नाम से निरस्त कराने हेतु राजस्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वाद/खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा बाबत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 1468 मिसल बंदोबस्त संवत् 2011–30 में अपने पिता स्व0 मोहनसिंह पि0 शिवनाथ सिंह कौम पुरोहित की खुदकाश्त की खातेदारी/जागीर कृषि भूमि दर्ज होने के तथ्य को आधार मानते हुए उक्त अपील दिनांक 11.10.2022, चालू संवत् 2079 में अत्यधिक विलंब करीब 49 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम थोब के खसरा नं0 1468 के पूर्वी दिशा के पिछे खसरा नं0 1467 की करीब 30 बीघा अपने पिता स्व0 मोहनसिंह एवं स्व0 पृथ्वीसिंह की शामलाती कृषि भूमि स्थित होना बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह मानने योग्य नही कि खसरा नं0 1467 के पास में स्थित उसके पिता की खातेदारी /जागीर भूमि ख0नं0 1468 रकबा 20.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर जमाबंदी चौसाला 2025–28 (राजकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में उल्लेखित अनुसार एवं अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–73 की प्रति के अनुसार गा0पं0 के खाते में गै0मु0गोचर दर्ज होने की, उसे पूर्व में कभी जानकारी नही थी, जबकि ख0नं0 1468 की कृषि भूमि को वह खुदकाश्त एवं कब्जाशुदा होना बता रहा है। अतः उक्त अपील मियाद बाधित होने तथा अपीलार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष इस अपील के माध्यम से दिया जाना संभव नही होने से, खारीज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने तथा मियाद बाधित से तदनुसार खारीज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकःप.12(3–) राज./आवंटन/2017/4154 दिनांक 17.07.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांकः समसंख्यक/4626 दिनांक 23.07.2019 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अपेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर